न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. लिम्बा पिता काल्या जी मीणा (मृतक) के बजाय :–

1/1. माना पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. लक्ष्मण पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. रामलाल पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. लालीबाई पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. मोहनीबाई पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. जुम्माबाई पिता लिम्बा जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. वरदा पिता काल्या जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोती पिता काल्या जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. मेघराम पिता गंगाराम जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. दीपक पिता गंगाराम जी मीणा, निवासी दरजातलाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती सकीबाई पुत्री काल्या जी पत्नी डूंगा जी मीणा, निवासी सूरतपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. लच्छीराम पिता भेरा जी माता देउबाई, जाति मीणा, निवासी गोगा का गुड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. भूरा पिता भेरा जी माता देउबाई, जाति मीणा, निवासी गोगा का गुड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. काना पिता भेरा जी माता देउबाई, जाति मीणा, निवासी गोगा का गुड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested

9. श्रीमती सोहनीबाई पिता भेरा जी माता देउबाई, जाति मीणा, निवासी गोगा का गुड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती गंगाबाई पिता भेरा जी माता देउबाई, जाति मीणा, निवासी गोगा का गुड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती नोजकीबाई पिता भेरा जी माता देउबाई, जाति मीणा, निवासी गोगा का गुड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (फोत) नाम तर्क किया गया
12. उदा पिता खरता जी माता पुंजीबाई, जाति मीणा, निवासी टेकण, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
13. गोतमा पिता खरता जी माता पुंजीबाई, जाति मीणा, निवासी टेकण, तहसील लसाड़िया, जिला उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का त. अधि.– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 02.07.2015, प्र.सं. 147/2013

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरे ा जणवा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय दिनांक 25–10–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुण्डई में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 25 रकबा 52 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 8/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 8/35, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 8/35 प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम 8/35 प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/35, प्रतिवादी संख्या 6 से 11 की माता देउबाई के नाम 1/35, प्रतिवादी संख्या 12, 13 की माता पूंजीबाई के नाम 1/35 हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष कालया जी थे। उपरोक्त आराजियात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है, जिसका मेटस एण्ड बाउण्ड्स विभाजन अभी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested

नहीं हुआ है, किन्तु मौके पर पालियां पड़ी होकर अलग–अलग काबिज हैं। सजरे अनुसार देउ, सकी व पूंजी जो काल्या की पुत्रियां होकर अपनी ससुराल में रहती है तथा तीनों बहनों ने अपना–अपना हक लिम्बा, वरदा, मोती एवं गंगाराम के पक्ष में उत्यागित कर दिया है। तब से वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 4 का 1/4 हिस्सा होकर मौके पर इसी अनुसार काबिज हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 13 की माता का नाम अंकित होने से वादी को लोन लेने एवं भूमि विकास में असुविधा हो रही है, जिससे देउ, पूंजी व सकी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाना आव यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोशित किया जाकर उपरोक्तानुसार विभाजन कराया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 02–07–2015 से वादी का वाद प्रस्तुत सजरे अनुसार स्वीकार का प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–04–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरे ा जणवा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए, भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested

व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 28–02–2017 को हुई। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृश्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना पक्षकारों की सहमति के प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। उक्त प्रकरण में जो अनुतोश वादी द्वारा नहीं चाहा गया एवं न ही काउण्टर क्लेम है, फिर भी बहनों का हिस्सा घोशित कर दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का वि लेशण करते हुए विवादित आराजियात में विरासत से पुत्रियों का भी हक अधिकार मानते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–07–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

लिम्बा के बजाय माना पिता लिम्बा नि0 दरजातलाई, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **वरदा पिता काल्याजी मीणा, निवासी नि0 दरजातलाई, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**27 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी** ..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....02**.....माह.....**07**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**.10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भूरालाल डांगी..**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरे ा जणवा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–07–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**.10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:23:48 IST
Reason: SelfAttested